प्रेस विज्ञप्ति

21.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने धन शोधन मामले में कार्ति पी. चिदंबरम, मैसर्स एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, एस. भास्कररमन, मैसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए, नई दिल्ली के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 19.03.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि कार्ति पी चिदंबरम ने मैसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड नामक कंपनी, जो मनसा, पंजाब में एक बिजली परियोजना स्थापित कर रही थी, द्वारा चीनी वीज़ा के पुन: उपयोग की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपने करीबी सहयोगी एस भास्कररमन के माध्यम से 50 लाख रुपए की अवैध रिश्वत ली थी। कंपनी के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय, जहां उनके पिता गृह मंत्री थे, से वीज़ा के पुन: उपयोग की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कार्ति पी. चिदंबरम से संपर्क किया था।

मामले में अपनाई गई कार्यप्रणाली यह थी कि कंपनी ने फर्जी सेवाओं की आड़ में एक एंट्री ऑपरेटर को चैक के माध्यम से 50 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बदले में एंट्री ऑपरेटर ने कार्ति चिदंबरम के करीबी सहयोगी एस भास्कररमन को 50 लाख रुपए नकद दिए। इसके बाद, एस भास्कररमन ने 50 लाख रुपए की इस नकदी को कार्ति पी चिदंबरम द्वारा नियंत्रित कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया। निवेश किए गए 50 लाख रुपए का मूल्य समय के साथ बढ़कर 1.59 करोड़ रुपए हो गया, जो पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार अपराध की आय है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।